न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2020/00037
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :- 08/2020

1. कमला देवी पत्नी फूलसिंह, जाति अहीर आयु 52 वर्ष, निवासी ग्राम महेशवास कलां, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. फूलसिंह पुत्र उदय सिंह जाति अहीर, आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम महेशवास कलां, तहसील आमेर जिला जयपुर।

--- प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर

--- अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 भू-राजस्व अधिनियम बाबत् पत्थरगढी व तारबन्दी ख0नं0 1352/895, 1353/895 वाके ग्राम महेशवास कलां, भू अभिलेख क्षेत्र रोजदा, तहसील आमेर जिला जयपुर

निर्णय दिनांक :-12.11.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी व तारबन्दी करने का प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाके ग्राम महेशवास कलां, पटवार हल्का महेशवास कलां भू अभिलेख क्षेत्र रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी ख0नं0 1352/895, रकबा 0.8900 है0 बारानी तृतीय, 1383/895 रकबा 1.1300 है0 बारानी तृतीय के रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार है जिसका प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी का शान्ति पूर्वक कब्जेकाश्त में होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है लेकिन प्रार्थीगण अपनी भूमि की सुरक्षा के लिये खेत में तारबंदी करवाकर सुरक्षित करना चाहते है जिससे कि सीमाजोड़ खातेदारों से कभी भी सीमा संबंधी किसी भी बात पर कोई विवाद उत्पन्न ना हो जिस कारण से प्रार्थीगण ने पूर्व में अपने उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार आमेर के समक्ष आवेदन किया गया है जिस पर दिनांक 03.06. 2020 को तहसीलदार महोदय मुण्डोता के आदेश कमांक एल.आर. 499

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:50 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 02.06.2020 की पालना में ग्राम महेशवास कला में स्थित आराजी का सीमाज्ञान पटवार हल्का महेशवास कला की मौजूदगी में किया गया उसके मुताबिक प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थीगण की आराजीयात ख0 नं0 1352/895, 1353/895 वाके ग्राम महेशवास कलां, भू–अभिलेख क्षेत्र रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर बाबत उक्त सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवायी जावे जिससे प्रार्थी को पडौसी खातेदार काश्तकारों से आपसी विवादों से निजात पाया जा सकें।

अतः प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नम्बर 1352/895, 1353/895 वाके ग्राम महेशवास कलां, भू–अभिलेख क्षेत्र रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर की पत्थरगढी व तारबंदी पुलिस इमदाद से करवाने हेतु संबंधित तहसीलदार आमेर को आदेशित व निर्देशित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गई। तहसीलदार आमेर से प्रार्थना पत्र की बिन्दूवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जो उनके पत्र क्रमांक भू.अ./20/2496 दिनांक 30.06.2020 के द्वारा भिजवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम महेशवास कलां के ख0नं0 1352/895, 1353/895 किता 2 रकबा 2.02 है0 कमला देवी पत्नी फूलसिंह हि0 1/2 फूलसिंह पुत्र उदयराम जाति अहीर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि के लगते ख0नं0 1335/895, 895/1, 887, 888/1, 888/2, 895, 1334/895, 885, 884, 895/970 है। ख0नं0 1335/895, 895/1 किता 2 रकबा 7.33 नरेन्द्र सिंह, प्रहलाद सिंह पि. महादेव जाति अहीर के नाम दर्ज है। ख0सं0 887/0.75, ईश्वरलाल, श्रवणलाल पुत्र रामू अहीर जाति बलाई के नाम दर्ज है। ख0सं0 888/1, 891/1, 892 किता 3 रकबा 2.76 कानाराम विमलेश पि. गोपाल सा.देह, देऊ देवी पत्नी गणेश जाति बलाई निवासी सरणा चौड, भूरी देवी पत्नी हरिनारायण जाति बलाई निवासी जोरपुरा तह. साभंर निवासी है। ख0सं0 895/0.50 [illegible] सुशील कुमार पि. मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मूण्डोता के ना[illegible] दर्ज [illegible]। 1334/895 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। ख0स0 8[illegible] 0.07 कालूराम पुत्र जगदीश, मुकेश, रामनिवास, रामस्वरूप, सुरेश पिता घासीलाल, हनुमान सहाय पुत्र खेमाराम जाति ब्राह्मण निवासी खोरा[illegible]ल के नाम दर्ज है। ख0सं0 884/0.49 कानी देवी पत्नी मेवाराम बलाई सा.देह के नाम दर्ज है। ख0सं0 895/970 रकबा 1.20 कानी देवी पत्नी मेवाराम जाति बलाई सा.देह के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:50 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण की ओर से बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 03.06.2020 को तहसीलदार महोदय मुण्डोता के आदेश क्रमांक एल.आर. 499 दिनांक 02.06.2020 की पालना में पटवार हल्का महेशवास कला की मौजूदगी में किया जा चुका है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में किसी प्रकार का विवाद न्यायालय में स्थगन या कोई आपत्ति नहीं बताई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1352/895, 1353/895 वाके ग्राम महेशवास कलां, भू–अभिलेख क्षेत्र रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडौसी खातेदारान को विधिवत नोटिस व सूचना दिया जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में सम्पादित करावें।

आज दिनांक 12.11.2020 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:50 IST
Reason: SelfAttested